

# आदेश - पत्रक

अनुसूचित 10-फारम नं० 562

(देशी अभिलेख 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक

दिनांक

से

दिनांक

दा० खा० वा० सं०

391

5/13-14

आदेश की क्र० सं० और ता०	आदेश और पर्याप्तकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गयी कारवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

श्री मती आमा सिन्हा  
 पत्नी श्री अशोक कुमार सिन्हा साहेबपुर पानी पम्प हाउस  
 थाना साहेबपुर जिला कसम  
 पो. थाला नं० 4688 दिनांक 13/11/12

के आधार पर निम्नलिखित आधार पर दाखिल खरिज हेतु आवेदन पत्र दाखिल किया है।

खेती का नाम	खेती नं०	खेता नं०	खसरा	एराजी
<u>पट्टाड़ी</u> <u>14</u>	<u>—</u>	<u>384</u>	<u>1648</u>	<u>1500</u> <u>असिद्ध</u>

मूल आवेदन पत्र इसके कमिश्नरी को अंचल निरीक्षक को माध्यम से प्रतिवेदन हेतु दे दें। महाल पर सूचना जारी कर आपत्ति की मांग कर। अभिलेख दिनांक 06/05/13 को उपस्थित करें।

अंचल अधिकारी MS अंचल अधिकारी MS

महाल पर मामला नोटिस प्राप्त है। कोई आपत्ति प्राप्त नहीं है। कार्यकारी की प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त है। उन लोगों ने आवेदन के साथ दाखिल खरिज करने की अनुरांसा किये हैं। फलतः इसके अनुरांसा के आधार पर दाखिल आवेदन प्रस्तावित है शक्ति पर प्रस्तावित है।

निवेदन एवं मुद्रा सिमा  
MS  
31/10/12  
MS

2. 10/11/12  
 16/11/12  
 क  
 क  
 क